

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़, रायपुर
-:: विज्ञापन ::-

छत्तीसगढ़ शासन जनशक्ति नियोजन विभाग के अधीन संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं विशेष (आदिवासी) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सत्र अगस्त 2012 में प्रवेश

1. छत्तीसगढ़ शासन जनशक्ति नियोजन विभाग के अधीन संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत नीचे उल्लेखित परिशिष्ट-दो अनुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित विभिन्न व्यवसायों में सत्र अगस्त 2012 से प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों एवं नीति के अंतर्गत आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 17 जुलाई 2012 सायंकाल 5.00 बजे तक है।**
2. छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिये जाने वाले व्यवसायों तथा विशेष (आदिवासी) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, नियत स्थानों, वांछित योग्यता एवं अन्य नियमों तथा नीति की जानकारी किसी भी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त की जा सकती है।
3. प्रशिक्षण दिये जाने वाले व्यवसायों तथा विशेष (आदिवासी) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु वांछित योग्यता एवं अन्य नियमों तथा नीति की जानकारी प्रशिक्षण विवरणिका में दी गई है, जिसका मूल्य रु. 15/- निर्धारित है, किसी भी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से नगद देकर अथवा वेबसाइट www.cgemployment.gov.in से डाउनलोड कर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।
4. प्रशिक्षण दिये जाने वाले व्यवसायों में प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का विवरण **नीचे परिशिष्ट-एक** में दी गई है तथा सीटों की जानकारी **परिशिष्ट-दो** में दी गई है। व्यवसाय के एन.सी.व्ही.टी. या एस.सी.व्ही.टी. होने की जानकारी संबंधित संस्था के प्राचार्य से ली जा सकती है।
5. सत्र अगस्त 2012 में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु व्यवसायवार आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नोटिस बोर्ड / प्रशिक्षण विवरणिका में दी गई है।
6. आवेदक की आयु 01 अगस्त 2012 को 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये, उच्चतर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है।
7. प्रवेश हेतु स्थानों की संख्या परिवर्तनीय है।
8. विशेष (आदिवासी) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में केवल अनुसूचित जनजाति के आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे, जिनके लिये उन्हें कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा।
9. सामान्य श्रेणी/ अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ रु. 15/- तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ रु. 10/- का रेखांकित (क्रासड) पोस्टल आर्डर अथवा चालान की मूल प्रति लगाना अनिवार्य होगा, जो संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक के नाम से देय होगा। यदि आवेदक पेमेन्ट सीट पर भी प्रवेश का इच्छुक है, तो उसे रु. 10/- का पोस्टल आर्डर/चालान अतिरिक्त रूप से संलग्न करना होगा। चालान का लेखा शीर्ष (हेड) जिसमें राशि जमा होगी - **0230- श्रम और रोजगार, 03- प्रशिक्षण, 800- अन्य प्राप्तियों**।
10. आवेदन पत्र पर आवेदक अपना मोबाईन नम्बर अवश्य अंकित करें ताकि प्रवेश हेतु चयन संबंधी जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से भेजी जा सके।

संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़-रायपुर
तकनीकी व्यवसाय (इंजीनियरिंग ट्रेड)

क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक योग्यता	अवधि
1.	ड्राफ्ट्समेन मैकेनिक, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समेन सिविल, इलेक्ट्रानिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग,	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा कक्षा 11 वीं पुराना पाठ्यक्रम से गणित तथा विज्ञान विषय के साथ अथवा 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा गणित तथा विज्ञान विषय के साथ बोर्ड से उत्तीर्ण	दो वर्ष
2.	इन्फार्मेशन टेक्नॉलॉजी एण्ड इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मेंटेनेंस, उपकरण यांत्रिकी, मैकेनिक रेडियो एंड टेलीविजन, विद्युत्कार, मोटर मैकेनिक,	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा कक्षा 11 वीं पुराना पाठ्यक्रम से विज्ञान विषय के साथ अथवा 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण विज्ञान विषय के साथ	दो वर्ष
3.	मशीनिष्ट, मशीनिष्ट ग्राइंडर पेन्टर जनरल, फिटर, टर्नर,	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा कक्षा 11 वीं पुराना पाठ्यक्रम अथवा 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण	दो वर्ष
4.	कम्प्यूटर हार्डवेयर मरम्मत एवं संधारण	10+2 अथवा इंटर मिडियेट या प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा भौतिक विज्ञान के साथ उत्तीर्ण	दो वर्ष
5.	डीजल मैकेनिक, ट्रेक्टर मैकेनिक, शीट मेटल, फोर्जर एण्ड हीट ट्रीटर,मोल्डर, कारपेंटर, वेल्डर,	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा कक्षा 11 वीं पुराना पाठ्यक्रम अथवा 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण	एक वर्ष
6.	फिजियो थैरेपी टेक्नीशियन	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत बारहवीं उत्तीर्ण, भौतिक, रसायन, बायोलॉजी विज्ञान के साथ	एक वर्ष
7.	इंटीनियर डेकोरेशन एंड डिजाईनिंग	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा बोर्ड उत्तीर्ण	एक वर्ष
8.	आर्टिटेक्चर असिस्टेंट	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा बोर्ड उत्तीर्ण 40% अंकों के साथ अथवा 10+2 अंतर्गत 12 वीं उत्तीर्ण या समकक्ष	एक वर्ष
9.	वायरमेन	आठवीं उत्तीर्ण	दो वर्ष
10.	प्लंबर, मेशन	आठवीं उत्तीर्ण	एक वर्ष

गैर-तकनीकी व्यवसाय (नान-इंजीनियरिंग ट्रेड)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक योग्यता	अवधि
1.	प्रिजरवेशन आफ फूड एण्ड वेजीटेबल,	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ बोर्ड से उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	एक वर्ष
2.	लायब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री (12 वीं) अथवा समकक्ष	छः माह
3.	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री (12 वीं) अथवा दसवीं कक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण करने के पश्चात 03 वर्ष का किसी भी पालिटेक्निक से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	एक वर्ष
4.	डेस्क टॉप पब्लिशिंग आपरेटर	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री (12 वीं) अथवा समकक्ष एवं मुद्रलेखन गति हिन्दी 25 शब्द/अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट क्षेत्रीय भाषा में मुद्रलेखन 30 शब्द प्रति मिनट को वरीयता	एक वर्ष
5.	स्टेनोग्राफी हिन्दी स्टेनोग्राफी अंग्रेजी, सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 12 वीं उत्तीर्ण अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ	एक वर्ष

6.	डेन्टल लेबोर्ट्री टेक्नीशियन	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा बोर्ड उत्तीर्ण	दो वर्ष
7.	हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत बारहवीं उत्तीर्ण, 10+2 के अंतर्गत विज्ञान विषय के साथ एवं 12 वीं में भौतिक, रसायन, बायोलॉजी विज्ञान	एक वर्ष
8.	निटिंग एंड हैण्ड विविंग, कटिंग सेविंग	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	एक वर्ष
9.	ड्रायवर कम मैकेनिक (लाईट मोटर व्हीकल)	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा बोर्ड उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	छः माह
10.	हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री (12 वीं) भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान विषयों के साथ	एक वर्ष
11.	ड्रेस मेकिंग	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा बोर्ड उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	एक वर्ष